



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 माघ, 1942 (श०)

संख्या- 117 राँची, शुक्रवार,

12 फरवरी, 2021 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

01 अप्रैल, 2019

संख्या:- 01/नीति-29/2018- 724-- झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 90 एवं सहपठित धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद, होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब की अनुज्ञप्तियों के संचालन एवं शुल्कों के संबंध में, पूर्व में इस संबंध में निर्गत सभी अधिसूचनाओं को, जहाँ तक वे इससे असंगत हो, अधिकांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

- (i) होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब की अनुज्ञप्तियों हेतु देय अनुज्ञप्ति शुल्क, जमानत की राशि एवं अनुज्ञप्तियों की कार्यावधि निम्नरूपेण निर्धारित करती है:-

क्र. सं.	क्षेत्र/अनुज्ञप्ति का नाम	होटल, बार एवं रेस्तरां का वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क	क्लब का वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क	होटल, बार, रेस्तरां एवं क्लब के द्वारा जमा किया जाने वाला जमानत की राशि (Security Deposit)	होटल, बार एवं रेस्तरां के खुलने एवं बंद होने का समय
1	झारखंड राज्य अवस्थित 5 Star Hotel	15 लाख रुपया प्रति वित्तीय वर्ष	-	3 लाख रुपये	प्रातः 10 बजे से रात्री के 1 बजे तक
2	झारखंड राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्र एवं बोकारो स्टील सिटी तथा जमशेदपुर शहरी क्षेत्र	9 लाख रुपया प्रति वित्तीय वर्ष	9 लाख रुपया प्रति वित्तीय वर्ष	3 लाख रुपये	प्रातः 10 बजे से रात्री के 12 बजे तक
3	झारखंड राज्य के नगर परिषद क्षेत्र	7.20 लाख रुपया प्रति वित्तीय वर्ष	7.20 लाख रुपया प्रति वित्तीय वर्ष	2 लाख रुपये	प्रातः 10 बजे से रात्री के 11:30 बजे तक
4	झारखंड राज्य के नगर पंचायत क्षेत्र	6 लाख रुपया प्रति वित्तीय वर्ष	6 लाख रुपया प्रति वित्तीय वर्ष	2 लाख रुपये	प्रातः 10 बजे से रात्री के 11:30 बजे तक
5	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र	3.60 लाख रुपया प्रति वित्तीय वर्ष	3.60 लाख रुपया प्रति वित्तीय वर्ष	1 लाख रुपये	प्रातः 10 बजे से रात्री के 10:30 बजे तक

ii. होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब अनुज्ञप्तियों का संचालन निम्नलिखित नियमों के तहत किया जाना प्रस्तावित है -

- क) होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क अग्रिम रूप से एकमुश्त लिया जायेगा, परंतु वित्तीय वर्ष के मध्य में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की अनुज्ञप्ति प्राप्त की जाती है, तो वित्तीय वर्ष की उस तिमाही से शेष बचे हुए वित्तीय वर्ष के लिए, अनुज्ञप्ति शुल्क, समानुपातिक रूप से एकमुश्त अग्रिम देय होगा। उदाहरणस्वरूप - अनुज्ञप्ति शुल्क यदि द्वितीय तिमाही में स्वीकृत की जाती है, तो तीन तिमाही के समानुपातिक अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा। प्रथम तिमाही में अनुज्ञप्ति लेने पर पूरे वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगा।
- ख) किसी तिथि विशेष को निर्धारित समयावधि के बाद मदिरा परोसे जाने के लिए ₹0 10000/- प्रति घंटे की दर से अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली की जायेगी। तदुपरांत उस तिथि को निर्धारित समयावधि के बाद मदिरा परोसी जाने की अनुमति अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के द्वारा दी जा सकेगी।
- ग) होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब में सामान्यतः मदिरा परोसे जाने का एक ही काउन्टर अनुमोदित किया जायेगा, परंतु यदि अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर में एक से अधिक काउन्टर पर मदिरा परोसे जाने की अनुमति चाहता है, तो अनुज्ञप्ति पदाधिकारी उस अतिरिक्त बार काउन्टर

के लिए वित्तीय वर्ष/वर्ष के भाग के लिए ₹0 100000 (एक लाख रुपये) अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क प्राप्त करेगा। यह बाध्यता 5 सितारा होटलों में अतिरिक्त बार काउन्टर खोलने के लिए लागू नहीं होगी।

घ) होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब की अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा मदिरा का उठाव झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गोदाम से किया जायेगा। मदिरा का उठाव निर्धारित उत्पाद परिवहन कर एवं बार परिवहन शुल्क का भुगतान कोषागार में करने के उपरांत सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद द्वारा निर्गत पारक के आधार पर किया जायेगा। झारखंड राज्य बिबरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गोदाम से मदिरा का परिवहन होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब के अनुज्ञप्ति परिसर में करने के लिए निम्न फार्मूला के अनुसार राशि का भुगतान किया जायेगा:-

a) भारत निर्मित विदेशी शराब/बीयर/वाइन एवं भारत में आयातित (मूल में बोतलबंद) विदेशी मदिरा, वाइन, बीयर इत्यादि पर अधिरोपित किया जाने वाला उत्पाद परिवहन कर के समतुल्य राशि+बार परिवहन शुल्क (JSBCL के थोक बिक्री मूल्य का 5%) ।

इ) केन्द्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के क्लब, पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित रिसोर्ट, होटल, स्टेट गेस्ट हाउस इत्यादि में अवस्थित बार, जो गैर वाणिज्यिक (लाभ नहीं अर्जित करने) उद्देश्य से संचालित किये जायेंगे, के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क, 2 लाख रुपये प्रति वित्तीय वर्ष निर्धारित किया जायेगा।

च) होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब में भारत निर्मित विदेशी शराब यथा विहस्की, ब्रांडी, रम, जिन, वोडका इत्यादि की 750 ML एवं उससे उपर माप की मदिरा के बोतलों की ही आपूर्ति की जायेगी। अनुज्ञाधारी इन बोतलों में से ग्राहकों को पेग में मदिरा परोसेगा। स्काँच की 60 ML या न्यून साइज की बोतलों को भी अनुज्ञाधारी रख सकेगा एवं ग्राहकों की मांग के अनुरूप परोसेगा। भारत में आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद) के सभी पैक साइज की बोतलों की आपूर्ति बार में की जायेगी तथा इनका उपभोग बार परिसर में ही करना होगा। बार से बाहर उपभोग हेतु बोतलों की खुदरा बिक्री नहीं की जायेगी।

iii. वित्तीय वर्ष 2019-20 से स्वतंत्र बीयर बार की अनुज्ञप्तियाँ अलग से स्वीकृत नहीं की जायेंगी।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी होगी।

सदस्य, राजस्व पर्षद के आदेश से,

वीरेन्द्र कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।
